ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 202-205
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-9, No.-I, Issues-X YEAR- June -2018

दलित जाति की बालिकाएं एवं सर्वशिक्षा अभियान (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

धर्मेंद्र कुमार

उच्चतर माध्यमिक शिक्षक समाजशास्त्र, अनुग्रह कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गया, (बिहार) भारत

''सर्वशिक्षा अभियान'' प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण एवं गुणवत्ता विकास की केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के संदर्भ में आयोजित शिक्षा मंत्रियों की राष्ट्रीय समिति 1999 की अनुशसाओं/संस्तुतियों का परिणाम है। इस अभियान को संक्षेप में सर्वशिक्षा अभियान की संज्ञा दी गई है।

इस अभियान का लक्ष्य अलग ढाँचा खड़ा करना नहीं था, परंतु प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु किए जा रहे सारे प्रयासों को मिलान करना था। इसके तहत सभी बस्तियों को स्कूली सुविधा या असेवित बस्तियों में शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र की सुविधा प्रदान करना, शत प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं संतोषप्रद स्तर की उपलब्धि स्तर सुनिश्चित करना है या कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकारों के सहयोग एवं सहभागिता से चलाया जा रहा है जिसमें केन्द्र एवं राज्य की वित्तीय भागीदारी निम्नवत् है :

तालिका – 1

वित्तीय भागीदारी (केन्द्र एवं राज्य सरकार)

पंचवर्षीय योजना	वित्तीय भागीदार	
	केन्द्र सरकार (प्रतिशत में)	राज्य सरकार (प्रतिशत में)
नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में	85	15
दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में	75	25
इसके बाद की पंचवर्षीय योजना अवधि में	50	50

यह योजना महत्वकांक्षी इसलिए है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, वे सभी अंग है या आने वाले दिनों में इसके अंग हो जाएंगें। नामांकित बच्चों की संख्या के अनुपात में यदि शिक्षक और कमरों की कमी होगी तो इसकी पूर्त्ति भी अलग से प्रस्ताव बनाकर सर्वशिक्षा अभियान के अन्दर की जाएगी। सर्वशिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने संबंधी चिर अभिलषित संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने का ऐतिहासिक समेकित प्रयास है। इस अभियान में सामुदायिक स्वामित्व की कल्पना की गई है। यॉनि समुदाय को केन्द्र में रखकर समुदाय की अगुआई में कार्य करने पर बल दिया गया है। इस प्रकार लोग भागीदारी एवं लोक सशक्तीकरण इसके मूल में है।

इस अभियान के तहत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य को दो चरणों में प्राप्त करना है :

प्रथम चरण (2002–2007)	प्राथमिक शिक्षा (कक्षा पहली से पाँचवीं तक) का सार्वभौमिकीकरण
द्वितीय चरण (2008–2010)	प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा छठी से आठवीं तक) का सार्वभौमिकीकरण

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा को परिवर्तित अनौपचारिक शिक्षा के रूप में माना गया है, लेकिन इसकी पाठ्यचर्या औपचारिक विद्यालयों की तरह ही होगी। यह अभियान बिहार राज्य के समस्त जिलों में चलाई जा रही है।

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य– 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी अनामांकित बच्चों को 2003 तक विद्यालय लाना। सार्वभौमिकीकरण का तात्पर्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए कक्षा पहली से आठवीं तक की प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा 2010 तक सुनिश्चित करना विद्यालयरहित बस्ती व टोले के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

विद्यालय को आकर्षक एवं शिक्षण पद्धति को आनंददायी बनाकर विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों को विद्यालय की ओर उन्मुख करना। अच्छे जीवन के लिए संतोषप्रद एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। समुदाय की अगुआई में विद्यालय संचालन एवं अनुश्रवण की परिस्थिति पैदा करना। शिक्षक एवं समुदाय की सार्थक साझेदारी में विद्यालय का सर्वांगीण विकास

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-9, No.-I, Issues-X YEAR- June -2018

करना।

प्राथमिक स्तर पर 2007 तक एवं प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक शिक्षा के संदर्भ में लैगिक एवं सामाजिक विभेद दूर करना अर्थात् 2010 तक सर्वव्यापी ठहराव की स्थिति उत्पन्न करना। अंततः प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के संवैधानिक दायित्व को पूरा करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)– राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को सर्वोच्य प्राथमिकता दी है। इसके तहत यह कहा गया था कि 21 वीं शताब्दी के प्रारंभ होने के पहले ही 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क

एवं अनिवार्य रूप से संतोषप्रद गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसके तहत मुख्यतः चार लक्ष्य निर्धारित किए गए–

(क) सर्वव्यापी पहुँच : इसके अन्तर्गत यह तय किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों तक विद्यालय की पहुँच सुनिश्चित की जाए। इसके लिए प्रत्येक 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय एवं प्रत्येक 3 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक विद्यालय की उपलब्धता को अनिवार्य किया गया। वैसे टोलों को चिन्हित कर, नए विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया, जहाँ विद्यालय अनुपलब्ध थे एवं बच्चों की आबादी 300 थी। प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया। बाधायुक्त क्षेत्र जैसे– पर्वतीय इलाके एवं नदी नाले से घिरे क्षेत्रों में दूरी की अनिवार्यता को समाप्त किया गया तथा प्रत्येक बसाव में प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

(ख) शत–प्रतिशत नामांकन : इसके अन्तर्गत 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चें–बच्चियों का नामांकन बिना किसी जाति एवं लिंगभेद के आधार में करने का लक्ष्य रखा गया। प्रायः देखा जाता है कि बालकों का नामांकन तो हो जाता है, परन्तु बालिकाओं की शिक्षा के प्रति लोग उदासीन है। अतएवः यह तय किया गया कि बालक–बालिकाओं के नामांकन में 5 प्रतिशत से ज्यादा का अन्तर नहीं होना चाहिए। साथ ही अभिवंचित वर्ग के बच्चें–बच्चियों के शत–प्रतिशत नामांकन पर बल दिया गया।

(ग) शत प्रतिशत ठहराव : प्रायः ऐसा देखा जाता है कि निर्धारित आयु के बच्चे नामांकित तो हो जाते है परन्तु विद्यालय कुछ दिन के आने के बाद वे विद्यालय आना बन्द कर देते है। प्रथम कक्षा से नामांकित बच्चों में से कम बच्चे ही प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर पाते है। छठें अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण 1995 में स्पष्ट किया है कि पहली कक्षा में नामांकित बच्चों में से 50 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक स्तर को पूरा करने के पहले ही विद्यालय छोड़ देते है। इसी प्रकार बालिकाओं में यह दर और भी अधिक है। एतएवः यह आवश्यक है कि प्राथमिक कक्षा की पहली कक्षा में नामांकित किए बच्चें को अगले आठ वर्ष तक विद्यालय में बनाए रखा जाए।

(घ) शत–प्रतिशत उपलब्धि : प्रायः ऐसा देखा जाता है कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को शैक्षिक उपलब्धि उनके कक्षा के स्तर की नही होती। अतएवः यह तय किया गया कि जिस कक्षा में बच्चें अध्ययन कर रहे हों, उस कक्षा के स्तर तक जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। इसक लिए प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित करने पर बल दिया गया जिससे संपूर्ण देश में कुछ न्यूनतम शैक्षिक मानक बनाएँ रखना सुनिश्चित हो सके तथा इसके लिए अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं रोचक बनाने पर बल दिया गया।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की समस्या का संसंगत तरीके से समाधान ढूँढ़ने के लिए कुछ सरकारी तथा गैर–सरकारी अभिकरणों ने कई कदम उठाए है। इनमें से कुछ है राजस्थान में लोक जुविश, दिगन्तर, बोध तथा शिक्षणकर्मी योजना, मध्य प्रदेश में एकलब्य और राजीव गाँधी मिशन, आंध्र प्रदेश में ऋषि घाटी परियोजना, उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा परियोजना तथा बिहार में बिहार शिक्षा परियोजना कार्य कर रही है।

बिहार में बिहार शिक्षा परियोजना– बिहार शिक्षा परियोजना ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए काफी प्रयास किए जिसके अपेक्षित परिणाम भी नजर आए। यह परियोजना यूनिसेफ के सहयोग से चलाई जा रही थी। परिणाम स्वरूप, विद्यालयों की भौतिक स्थिति, बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं उपलब्धि में सकारात्मक परिवर्तन आया। शिक्षकों को वर्ष में 20 दिन प्रशिक्षण सुनिश्चित किया गया तॉकि वे शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों से परिचित हो सके, बच्चों के मनोविज्ञान की समझ उन्हें हो सके तथा खेल–खेल में आनन्ददायक गतिविधियों के माध्यम से वे बच्चों की उपलब्धि स्तर को बढ़ा सकें। शिक्षकों को सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक की जानकारी भी दी गई, जिससे शिक्षक इसे अध्यापन के साथ–साथ ही कर सकें। इसके अपेक्षित परिणाम देखने को मिले।

शिक्षा सबके के लिए तथा सहस्त्रबदी विकास लक्ष्य– शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रयास किए गए। 'शिक्षा सबके लिए हो' (Education for All) इसके लिए प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति के काफी पहले

से ही किया जाता रहा है। देश की आजादी के लिए लड़ने वाले कई नेताओं ने लोकतांत्रिक समाज की रचना में शिक्षा की उपयोगिता को पहचाना था। गोपालकृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, एनी वेसेन्ट और महात्मा गाँधी ने अपने राजनैतिक प्रयासों में शिक्षा को तरजीह दी। राज्य द्वारा सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाए जाने की मांग गोपाल .ष्ण गोखले ने 1910 में की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक जनतंत्रात्मक कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिकीकरण तथा सभी के लिए शैक्षिक अवसर को अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता के रूप में स्वीकार किया।

सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य 2000 तक प्राप्त किया जाना था। सबके लिए शिक्षा में अच्छी गुणवत्ता वाले विद्यालयों की परिकल्पना की गई, जो बच्चों को न केवल पाठ्यक्रम पूरा होने तक विद्यालय में बनाएँ रखे बल्कि अधिगम के न्यूतम स्तर को प्राप्त करने योग्य भी बनाएँ।

तालिका संख्या - 2

प्राथमिक विद्यालयों में बालक-बालिकाओं का नामांकन

Gross Enrolment Ratio - Primary Level			
Year	Boys	Girls	Total
2010-11	97.88	102.44	100.04
2009-10	102.65	103.03	102.83

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1990 को अंतराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया था। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई तथा उसके तहत 15–35 वर्ष के आयु वर्ग के एक करोड़ प्रौढ़ों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। 'प्रत्येक व्यक्ति एक को पढ़ाए और सम्पूर्ण साक्षरता अभियान' जैसे कार्यक्रम चलाए गए। विद्यालय न जा सकने वाले बच्चों एवं बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों की शिक्षा हेतु गैर–औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किए गए। 20.27 मई 1986 को बैंकाक, थाईलैंड में ए.पी.डी.आई.डी. की दसवीं क्षेत्रीय परामर्शदात्री एवं निरक्षरता उन्मूलन के बारे में क्षेत्रीय विशेषज्ञों की बैठक के फलस्वरूप 'सबके लिए शिक्षा' कार्यक्रम बना। इसके तहत मुख्यतः तीन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गयाः (1) निरक्षरता उन्मूलन (2) प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण और (3) अनुवर्ती शिक्षा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी निरक्षर प्रौढ़ों और प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की आयु वाले सभी बच्चों विशेशकर सुविधा वंचित वर्गों के बालकों/बालिकाओं का नामांकन तथा ठहराव सुनिश्चित करना था।

सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से अंतराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रयास किए गए। सी. ए. ई. कार्यक्रम देशभर में बड़े पैमाने पर लागू किया गया। प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए उल्लेख कार्य योजना यूनिसेफ की सहायता से प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रय नवीकरण परियोजना के रूप में सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के 3000 प्राथमिक विद्यालय में व्यापक रूप से लागू किया गया। इसके तहत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु कई प्रयास किए गए। कई प्रकार की अनुदेशात्मक सामग्री का विकास और निर्माण किया गया। ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय तत्परता कार्यक्रम लागू किया गया। वर्ष 2000 में अंतराष्ट्रीय स्तर पर 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश एवं 23 अंतराष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्यों के आठ सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (Millenium Development Goal&MDG) निर्धारित करने पर अपनी सहमति बनाई, जिसमें से एक प्रमुख लक्ष्य 2015 तक प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना भी है। इसके लिए अंतराष्ट्रीय स्तर से काफी प्रयास भी किए जा रहे है, जिसके अच्छे, परिणाम भी नजर आने लगे हैं। उदाहरणस्वरूप, 2008 तक विकासशील देशों के लगभग 89 प्रतिशत बच्चे विद्यालय आने लगे हैं।

बिहार में कुल प्राथमिक विद्यालयों में कुल 1,38,027 कक्षा.कक्ष हैं जिसमें पक्के निर्मित कक्षा–कक्षों की संख्या 1,22,867 है। यदि देखा जाए, तो केवल 15,160 ऐसे कक्षा कक्ष है जो पक्के निर्मित नहीं है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल कक्षा–कक्ष की संख्या 1,24,658 हैं जिसमें 1,07,233 कक्षा–कक्ष पक्के निर्मित है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के 17,425 कक्षा–कक्ष पक्के निर्मित नहीं है। इसका अर्थ है कि 15,160 प्राथमिक विद्यालय एवं 17,425 उच्च प्राथमिक विद्यालय अभी भी पक्कें निर्मित नहीं है। सरकार का प्रयास जारी है तथा सर्वशिक्षा अभियान के तहत विद्यालय भवन निर्माण एवं कक्षा–कक्षों का निर्माण किया जा रहा है।

दलित जाति की बालिकाएं सार्वभौमिक शिक्षा का लाभ प्राप्त कर रही है लेकिन उतनी उत्साह के साथ नहीं जितना होना चाहिए था। इसका कारण यह है कि उनके माता–पिता अभी भी शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है और न ही शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी निर्धनता बहुत बड़ी बाधा है। अतः दलित जाति की बालिकाओं का साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत निराशाजनक बनी हुई है । दलित बालिकाएं प्राथमिक स्तर तक किसी तरह शिक्षा प्राप्त कर लेती है, लेकिन सभी दलित जातियों में स्थिति एकसमान नहीं है। बिहार में और अध्ययन क्षेत्र पटना जिला के धनरूआ प्रखण्ड के बरनी पंचायत में सार्वभौमिक शिक्षा का प्रभाव दलित बालिकाओं पर बहुत ही असंतोषजनक है। बिहार में पोशाक एवं साईकिल योजना,

मध्याह्न भोजन आदि ने दलित परिवारों को अपने लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया है। इसके बावजूद भी वे विद्यालय तो आती है लेकिन आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है। अतः सार्वभौमिक शिक्षा के समक्ष यह एक बहुत बड़ी बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें मुत पुस्तक एवं कॉपीयाँ प्रदान की जाए । साथ ही साथ पढ़ने–लिखने का माहौल बनाया जाए और इसके लिए उनके टोली मुहल्ले में प्रचार–प्रसार किया जाए। तभी सार्वभौमिक शिक्षा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। हालांकि श्री के०के० पाठक के कड़े कदमों ने विद्यालय में छात्र–छात्राओं की उपस्थिति में बढ़ोत्तरी दर्ज की है तथा शिक्षक भी समय से विद्यालय आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी भी विद्यालयों में फर्जी शिक्षक–शिक्षिकाओं की भरमार है। ऐसे शिक्षक–शिक्षकाओं से बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं जबकि उन्हें स्वयं लिखने–पढ़ने की कोई जानकारी नहीं है। अतः सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा का विमर्श – काका कालेलकर, प्रकाशक – गाँधी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा, नयी दिल्ली, 1910.
2. भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, गुप्ता एवं शर्मा, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, जनवरी, 2020.
3. शिक्षा कैसी हो – डॉ० पवित्र कुमार, साहित्य इंडियन पब्लिकेशन, दिल्ली, दिसम्बर, 2020.
4. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम :– बिहार शिक्षा परियोजना पुस्तक, मुजफरपुर, 1990.
5. Rights of Women : Feninist perspective - Ram Ahuja, Rawat Publication, Jaipur, 1992.
6. Society & Culture in India : Dynamics through Ages-Indradeva, Rawat Publications, Jaipur, May 2018.
7. महात्मा गाँधी का शिक्षा दर्शन – प्रो० सत्यमूर्ति, अरूण प्रकाशन, दिल्ली, जनवरी, 2012.
8. बिहार जिला योजना के आंकड़ों के आधार पर संकलित, सन् 2010–11.

*****